न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 116/2017

नथाराम पुत्र चुनाराम जाति बलाई निवासी ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.... प्रार्थी

बनाम

1. कुरड़ाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
2. हरदयाल
3. जगदीश दोनों पुत्र नारायणाराम जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
4. देबूराम
5. बीरबल
6. जगूराम तीनों पुत्र चिमनाराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
7. बनवारी
8. शिशपाल दोनों पुत्र रामेश्वर समस्त जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
9. रामेश्वर पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
10. रामकुमार पुत्र नारायणाराम जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
11. पटवारी हल्का, ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
12. तहसीलदार फतेहपुर प्रतिनिधि लैण्ड हॉल्डर राजस्थान सरकार

.... अप्रार्थीगण

13. कुरड़ाराम
14. लालूराम दोनों पुत्र चुनाराम जाति बलाई निवासी ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.... औपचारिक अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर- सीकर (राज॰)

[illegible] अधिवक्ता

श्री [illegible] सैनी– प्रार्थी
श्री गिरधारीलाल निर्मल – अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 12.06.2018

प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नंबर 486/1 रकबा 1.17 हैक्टयर वाके ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी में अवस्थित है, जिसके नाम उक्त भूमि का खाता बना हुआ है, जिसका मूल खसरा नम्बर पुर्व में 486 था। आवेदक की उक्त कृषि भूमि में जाने का रास्ता गोचर भूमि खसरा नम्बर 488 के बीच में से होता हुआ उक्त रास्ता खसरा नंबर 489 की दक्षिणी सींव तक जाकर दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिनमें से पूर्वी तरफ का रास्ता खसरा नंबर 489 की से होता हुआ खसरा नंबर 491 में प्रवेश करता है तथा इसकी दक्षिणी पश्चिमी कुंट से खसरा नम्बर 486 में प्रवेश करता है।

उक्त रास्ता मौके पर हमेशा से 20 फीट चौड़ा रहा है। आवेदक अपनी उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 486/1 में आवागमन, पशु, वाहन आदि लाने ले जाने हेतु उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते को ही हमेशा से अपने पुर्वजों के समय से निरन्तर, निर्बाद्ध, शांतिपुर्वक तरीके से अपने उपयोग – उपभोग में लेता चला आ रहा है।

आवेदक के पास अपनी उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 486/1 में आने जाने हेतु उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। उक्त रास्ता आवेदक के हिस्से की भूमि में आवागमन का एकमात्र प्रचलित रास्ता है, किन्तु अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 10 के द्वारा कतई गलत व विधिविरूद्ध रूप से बिना किसी वैध हक अधिकार के उक्त रास्ते को बंद करने की धमकियां गत माह से आवेदक व उसके परिवारजन को दी जा रही है। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 10 के द्वारा उक्त रास्ता बंद कर देने से आवेदक अपनी उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 486/1 में आवागमन नहीं कर सकेगा तथा अने पशुधन, वाहन, खेती का सामान आदि नहीं ले जा सकेगा। उक्त रास्ते के बंद हो जाने से आवेदक अपने खेत को काश्त नहीं कर पायेगा तथा न ही उसकी सारसंभाल कर पायेगा, जिससे आवेदक को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति अन्यथा किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी।

उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते के अलावा आवेदक के खेत में आने जाने का अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। इसलिए आवेदक को प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित उक्त 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। आवेदक नियमानुसार विधि की समस्त शर्तों की पालना करने हेतु तैयार है तथा उक्त रास्ता आवेदक को दिलवाया

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर- सीकर (राज॰)

कृपा करे तथा उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु अनावेदक संख्या 11 व 12 को ओदशित फरमानें की कृपा करे तथा अनावेदक संख्या 1 लगायत 10 को आदेशित फमरमाया जावे कि वे उक्त रास्ते को अवरूद्ध नहीं करें तथा आवेदक व उसके परिवारजन के उक्त रास्ते से आवागमन, वाहन, पशुधन आदि लाने ले जाने व उनके उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, तथा कोई हस्तक्षेप नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से श्री गिरधारीलाल निर्मल एड. एवं अप्रार्थीगण संख्या 4, 9, 13, 14 की ओर से श्री विधाधर सैन एड. ने वकालतनामा पेश किये व अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 2,3, 5ता 8,10 ता 12 बावजूद तामील हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रकरण में तहसीलदार फतेहपुर से मौके की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार फतेहपुर ने अपने पत्रांक 136 दिनांक 15.01.2018 से रिपोर्ट प्रेषित की। तहसीलदार, फतेहपुर से प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता अपने खेत खसरा नम्बर 486/1 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 488,489,491 में से होकर आते जाते रहे है इसके अलावा अन्य कोई आवागमन का रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ते का कुल रकबा 0.35 है0 है। ख.नं. 488,489,491 की वर्तमान डीएलसी दर 1,59,390/— रूपये प्रति है0 है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं तहसीलदार फतेहपुर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 486/1 में आवागमन के लिये उसके द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी नथाराम पुत्र चुनाराम जाति बलाई निवासी ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर (राज.)

...नियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, फतेहपुर के द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेश में ...त रंग से दर्शाया गया नवीन रास्ता जो खसरा नम्बर 488,489,491 वाके ग्राम बीबीपुर बड़ा ...में से होता हुआ प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 486/1 ग्राम बीबीपुर बड़ा तक जाता है। जिसका क्षेत्रफल रकबा 0.35 है0 है को गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है। प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि वे राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद से पूर्व उक्त क्षेत्रफल का वर्तमान प्रचलित डीएलसी दर का दोगुना की दर से अप्रार्थीगण खातेदार को प्रतिफल राशि का भुगतान करें। तहसीलदार फतेहपुर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर (राज.)

आदेश

आदेश आज दिनांक 12.06.2018 को खुले कैम्प कोर्ट बीबीपुर छोटा में सुनाया गया।

(... मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर (राज.)